Secretaries in the State.

अर्ध स. पत्र क्रमांक 6/7/94-डी0सी0

कमला चौधरी, आई0ए0एस0

आयुक्त एवं विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग ।

दिनांक 14-11-1994

विषय :--प्रशासकीय सुधार विभाग की डिले चैंकिंग यूनिट द्वारा लम्बित मामलों के निरीक्षण करने बारे ।

प्रिय,

प्राय: यह पाया गया है कि लगभग प्रत्येक विभाग में स्थापना सम्बन्धी मामले काफी अवधि तक चलते रहते हैं परन्तु उसका निपटान समय पर नहीं किया जाता है। उस देरी को रोकने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि राज्य की डिले चैंकिग यूनिट की बाकी विषयों के इलावा विशेषतौर पर निम्नलिखित विषयों के बारे में, निरीक्षण की तिथि के एक वर्ष पूर्व आरम्भ की गई, फाईलों का, निरीक्षण करने के लिए सरकारी कार्यालयों में भेजा जाए :--

1. कोर्ट केस
2. आडिट पैरा
3. पैंशन केस
4. एक्स ग्रेसिया केस

5. सेवा पुस्तिकाएं
6. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
7. वेतन निर्धारण
8. सेवा वृद्धि के मामले
9. दक्षतारोध के केस
10. यात्रा भत्ता
11. कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित मामले
12. अन्य स्थापना सम्बन्धी मामले
13. मुख्य मन्त्री/मन्त्री/उप मन्त्री से प्राप्त पत्र
14. विधान सभा प्रश्न

2. निरीक्षण के लिए आने से पूर्व डिले चैकिंग यूनिट सम्बन्धित कार्यालयों को अपने आने की सूचना एक सप्ताह पहले दे देगी ताकि यूनिट को सम्बन्धित फाईलें उपलब्ध करवाई जा सकें।

3. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उपरोक्त मामलों को सभी स्तरों पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा कार्यालय में कार्यरत अमले की शीघ्रता से निपटान करने बारे निर्देश दें। यह भी अनुरोध करूंगी कि जब डिले चैकिंग यूनिट उक्त कार्यालयों में निरीक्षण के लिए आए तो उन्हें सम्बन्धित फाईलें उपलब्ध करवाने में पूर्ण सहयोग दें।

आदर सहित।

आपकी

हस्ता/-

(कमला चौधरी)

सभी विभागाध्यक्ष

No. 17/27/94-AR